

14  
10/1/19

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश

प्रायः देखा जा रहा है कि कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निविदा में अनुसूचित दर में अनुमोदित कम्पनीयों की सामग्री (यथा छड़) से अलग हटकर अपने स्तर से किसी दूसरे कम्पनी का सिमेंट/छड़ एवं अन्य सामग्रियों (विद्युत कार्य सहित) का प्रावधान कर निविदा प्रकाशित कर दिया जाता है तथा तदनुसार कार्यों में भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही योजनाओं के लिए चयनित Consultant द्वारा विभाग के बिना अनुमोदन के अपने मनमाफिक सिमेंट/छड़ एवं अन्य सामग्रियों (विद्युत सहित) के कम्पनियों के नाम DPR में शामिल कर लेते हैं।

अतः निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत योजनाओं में अनुसूचित दर में प्रावधान किए गये कम्पनीयों का ही छड़ का उपयोग किया जाए एवं अन्य सामग्रियों का उपयोग/व्यवहार अनुसूचित दर के उद्धृत तकनीकी विशिष्टियों के आधार पर किया जाय।

इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

ज्ञापांक- 327(11)

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
पटना, दिनांक-

24.11/9/19

ज्ञापांक- 327(11)

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने प्रेषित।

—अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
पटना, दिनांक-10/1/19

24.11/9/19

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

24.11/9/19

10/1/19